

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।
(ग) परियोजना की लागत।	रु 50.40 लाख।
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	मोटर मार्ग का नव निर्माण।
(ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	लगभग 500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	आरक्षित वन एवं वनपंचायत भूमि शून्य हे०, सिविल सोयम भूमि 2.187 हे०, तथा नाप भूमि 0.963 हे० इस प्रयोजना हेतु प्रभावित होती है। जिसमें 2.187 हे० भूमि का वन भूमि हस्तान्तरण होना है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है-	कोई नहीं।
(क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं।
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण काने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा-	संलग्न है।

स्थान:- नैनीताल
दिनांक:- 22/02/18

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड ला० नि० वि०
नैनीताल।